न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

प्रार्थीगणः–

1. धर्मेन्द्र पुत्र स्व. श्री रामसहाय जी जाति ब्राहम्ण (गोटेचा), उम्र–48 वर्ष, निवासी ग्राम मीण्डा, तहसील नावा, जिला नागौर हाल निवासी मकान नं 12 ए. जोबनेर बाग कॉलोनी, स्टेशन रोड, जयपुर–302006
2. सुबोध पुत्र स्व. मोहनलाल जी जाति ब्राहम्ण (गोटेचा), निवासी ग्राम मीण्डा सेक्टर–8, फरीदाबाद हरियाणा–121006, जरिये खास मुख्तयार धर्मेन्द्र गोटेचा
3. अरुणा पत्नी स्व. प्रमोद कुमार जाति ब्राहम्ण (गोटेचा), निवासी ग्राम मीण्डा, तहसील नावा, जिला नागौर हाल निवासी मकान नं 12 ए. जोबनेर बाग कॉलोनी, स्टेशन रोड, जयपुर–302006, जरिये खास मुख्तयार धर्मेन्द्र गोटेचा
4. अमित पुत्र स्व. प्रमोद कुमार जाति ब्राहम्ण (गोटेचा), निवासी ग्राम मीण्डा, तहसील नावा, जिला नागौर हाल निवासी हाल निवासी–मकान नं–डी–12/201, आईआरईओ विक्टरी वेल, गोल्फ कोर्स विस्तार मार्ग, सेक्टर–67, गुडगांव हरियाणा 122001, जरिये खास मुख्तयार धर्मेन्द्र गोटेचा
5. नेहा पुत्री स्व. प्रवीण कुमार जाति ब्राहम्ण (गोटेचा), निवासी ग्राम मीण्डा, तहसील नावा, जिला नागौर, धर्मपत्नी श्री विभू मिश्रा, निवासी–मकान नं–33 राजहंस कॉलोनी, ब्रहम्पुरी, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर–302002, जरिये खास मुख्तयार धर्मेन्द्र गोटेचा
6. हीना पुत्री स्व. प्रवीण कुमार जाति ब्राहम्ण (गोटेचा), निवासी ग्राम मीण्डा, तहसील नावा, जिला नागौर पत्नी श्री हितेश शर्मा, निवासी–मकान नं–1945, खजाने वालों का रास्ता, तिसरा चौराहा, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर–302002, जरिये खास मुख्तयार धर्मेन्द्र गोटेचा
7. श्रीमती सरोज देवी धर्मपत्नी स्व. श्री रामसहाय जी जाति ब्राहम्ण (गोटेचा), उम्र–82 वर्ष, निवासी ग्राम मीण्डा, तहसील नावा, जिला नागौर हाल निवासी मकान नं–12 ए. जोबनेर बाग कॉलोनी, स्टेशन रोड, जयपुर–302006, (तथाकथित प्रतिवादी संख्या 06 मोहनीदेवी) जरिये खास मुख्तयार धर्मेन्द्र गोटेचा
8. अभिषेक गोटेचा पुत्र स्व. श्री रामसहाय जी, जाति ब्राहम्ण (गोटेचा), उम्र–48 वर्ष, निवासी ग्राम मीण्डा, तहसील नावा, जिला नागौर हाल निवासी–मकान नं–12 ए, जोबनेर बाग कॉलोनी, स्टेशन रोड, जयपुर–302006, जरिये खास मुख्तयार धर्मेन्द्र गोटेचा

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. मोतीलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री धीसालाल जी गोटेचा, उम्र–59 जाति ब्राहम्णा, निवासी ग्राम मीड़ा, तहसील नावा, जिला [illegible] गली, सांभर लेक, जिला जयपुर (वादी)
2. रमाकांत जी शर्मा पुत्र स्व. श्री[illegible]लाल जी [illegible], उम्र–59 जाति [illegible], निवासी ग्राम मीढा, तहसील नावा, जिला [illegible] मकान स्थित म[illegible]विहार कॉलोनी, खातीपुरा तिराहा, खातीपुरा रोड, जयपुर। (प्रतिवादी संख्या 09)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

3. शिवकुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री घीसालाल जी गोटेचा, उम्र– जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम मीढा, तहसील नावा, जिला नागौर हाल निवासी मकान नं–1836–ए, रेम्बल रोड, अजमेर शहर अजमेर–305001 (प्रतिवादी संख्या 10)
4. मुरलीधर शर्मा पुत्र स्व. श्री घीसालाल जी गोटेचा, उम्र– जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम मीढा, तहसील नावा, जिला नागौर हाल निवासी नहरू नगर कॉलोनी, बालाजी रोड, नियर मानवता कॉलेज, फुलेरा, हरीपुरा जयपुर–303338 (प्रतिवादी संख्या 11)
5. रमेश कुमार पुत्र स्व. श्री घीसालाल जी गोटेचा, उम्र– जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम मीण्डा, तहसील नावा, जिला नागौर हाल निवासी 183ए, गणेश नगर 17 लालचन्दपुरा रोड़, हाथौज, कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा जयपुर (प्रतिवादी संख्या 12)
6. ललित कृष्ण पुत्र स्व. वैध श्री भंवरलाल जी गोटेचा, उम्र– जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम मीढा, तहसील नावा, जिला नागौर हाल निवासी मकान नं–77, भृगु मार्ग, सिन्धी कैम्प बस स्टेण्ड के पीछे, बनीपार्क, जयपुर। (प्रतिवादी संख्या 13)
7. विनोद कुमार पुत्र स्व. वैध श्री भंवरलाल जी गोटेचा, उम्र– जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम मीढा, तहसील नावा, जिला नागौर हाल निवासी मकान नं–77, भृगु मार्ग, सिन्धी कैम्प बस स्टेण्ड के पीछे, बनीपार्क, जयपुर। (प्रतिवादी संख्या 14)
8. अशोक कुमार पुत्र स्व. वैध श्री भंवरलाल जी गोटेचा, उम्र– जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम मीढा, तहसील नावा, जिला नागौर हाल निवासी मकान नं–77, भृगु मार्ग, सिन्धी कैम्प बस स्टेण्ड के पीछे, बनीपार्क, जयपुर। (प्रतिवादी संख्या 15)
9. श्रीमती अंजना धर्मपत्नी स्व. अनिल कुमार गोटेचा पुत्र स्व. वैध श्री भंवरलाल जी गोटेचा, उम्र जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम मीढा, तहसील नावा, जिला नागौर हाल निवासी मकान नं–77, भृगु मार्ग, सिन्धी कैम्प बस स्टेण्ड के पीछे, बनीपार्क, जयपुर। (प्रतिवादी संख्या 16)
10. वैभव पुत्र स्व. अनिल कुमार गोटेचा पौत्र स्व. वैध श्री भंवरलाल जी गोटेचा, उम्र– जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम मीढा, तहसील नावा, जिला नागौर हाल निवासी मकान नं–77, भृगु मार्ग, सिन्धी कैम्प बस स्टेण्ड के पीछे, बनीपार्क, जयपुर। (प्रतिवादी संख्या 17)
11. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधी तहसीलदार जी नावा (भूमिधारी)। (प्रतिवादी संख्या 18)
12. उप पंजीयक नावा तहसील नावा। (प्रतिवादी संख्या 19)
13. रामनिवास बिजारनियां पुत्र झुथाराम जाति जाट, निवासी वार्ड संख्या 12. चारणा वाली ढाणी, देदिया का बास, मीण्डा तहसील नावां (क्रेता)
14. श्रवणलाल पुत्र झुथाराम जाति जाट, निवासी चारणा वाली ढाणी, देदिया का बास, मीण्डा तहसील नावां (क्रेता)
15. मनोज देवी पत्नी रामनिवास, वास, जाति जाट, निवासी देदिया का बास, मीण्डा तहसील नावां (क्रेता)
16. ममता पत्नी श्रवणलाल, जाति जाट, निवासी देदिया का बास, मीण्डा तहसील नावां (क्रेता)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र बाबत :– एकपक्षीय निर्णय व डिक्री अपास्त करने
अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी

उपस्थित :– श्री अभिषेक गोटेचा प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
श्री अमरचन्द पंवार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ता 10, 13 ता 16

मुकदमा नम्बर :– 0129/2022 निर्णय दिनांक :–19.02.2024

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या 01 मोतीलाल शर्मा ने इस न्यायालय में दिनांक 17.01.2022 को राजस्व वाद संख्या 05/2022 विरूद्ध प्रार्थीगण एवं अन्य अप्रार्थीगण वास्ते इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया, अप्रार्थी/वादी मोतीलाल के वाद को दिनांक 17.01.2022 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण (प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 02 ता 12) को जरिये समन तलब करने के आदेश जारी किये गये, आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.02.2022 को दी गई, आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.02.2022 को प्रतिवादी संख्या 18 व 19 (तहसीलदार व उप पंजीयक) के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई, प्रतिवादी संख्या 10 व 11 (अप्रार्थी संख्या 03 व 04) की और इकबाली जवाब पेश हुआ, अन्य प्रतिवादीगण के समन इन्तजार की आदेशिका लिखकर आगामी तारीख पेशी दिनाक 28.02.2022 दी गई, आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.02.2022 को प्रतिवादी संख्या 01 ता 09, 12 ता 17 (प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 02 व 05 से 10) के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.03.2022 को वादी की और से साक्ष्य में स्वंय वादी मोतीलाल पी.डब्ल्यू 1, व गवाहान पी. डब्ल्यू 1 गोपाल तथा पी.डब्ल्यू 2 रामनिवास के साक्ष्य के शपथ पत्र प्रस्तुत किये, साक्ष्य वादी बन्द करवाकर वास्ते बहस 08.03.2022 की तारीख ली गई दिनांक 08.03.2022 को बहस कर दिनांक 10.03.2022 को वादी (अप्रार्थी संख्या 01) तथा प्रतिवादी संख्या 09 से 17 (अप्रार्थी संख्या 02 ता 10) के पक्ष में व प्रार्थीगण (प्रतिवादी संख्या 01 ता 08) के विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित करवा लिया। अप्रार्थी/वादी श्री मोतीलाल स्वंय का आचरण इस पूरे मामले में कपट पूर्वक भी रहा है, वादी श्री मोतीलाल ने न्यायालय के समक्ष वास्तविक व सही तथ्य अंकित नहीं किये, जानबूझकर महत्वूपर्ण तथ्य छिपाये, फर्जी व कूटरचित लिखित पेश की एवं डिक्री न होने योग्य वाद को गलत तथ्यो के आधार पर एवं माननीय न्यायालय को मिसगाईड कर एक पक्षीय डिक्री करवा लिया, यद्यपि इस आवेदन में वाद एवं निर्णय की मैरिट को देखना आवश्यक नहीं है लेकिन ये बाते वादी मोतीलाल के आचरण को स्पष्ट करती है अतः इनका उल्लेख आवश्यक है, यहां यह भी निवेदन करना उचित है कि वक्त वाद दायरी एवं वाद निर्णय वादी मोतीलाल स्वंय ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति दूदू के पद पर कार्यरत था जहां से 31.05.2022 को सेवानिवृत हुआ है, उक्त मोतीलाल सपरिवार सांभरलेक में निवास करता है, कम से कम गत 15 वर्षों से वादी मोतीलाल ग्राम मीण्डा में नही रहता है, वाद शीर्षक में स्वंय का पता मीण्डा बताया है। वादी ने कपट पूर्वक एक पक्षीय डिक्री हासिल करने की बदनियती से प्रार्थीगण संख्या 01 ता 17 के सही पते लिखे ही नहीं, प्रार्थीगण को मीण्डा के निवासी बताकर हाल निवासी जयपुर बताया गया लेकिन जयपुर के पते लिखे ही नहीं गये, निवेदन है कि प्रार्थीगण के सही पते प्रार्थना पत्र शीर्षक में अंकित किये है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी सुबोध एवं अमित हरियाणा में निवास करते है, रामसहायक जी की पत्नि का नाम मोहनीदेवी लिखकर प्रतिवादी संख्या 06 बनाया गया जबकि उसका सही नाम सरोज देवी हैं। अप्रार्थी/वादी श्री मोतीलाल के वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि नवसृजित

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

ग्राम देदिया का बास (मूल ग्राम मिण्डा) के गत खसरा संख्या 63 रकबा 138–04 बीघा (नवीन खसरा संख्या– खसरा संख्या 1636/493 रकबा 2.57 हेक्टेयर, खसरा संख्या 1707/480 रकबा 3.24 हेक्टेयर, खसरा संख्या 480 रकबा 8.43 हेक्टेयर, खसरा संख्या 482 रकबा 0.51 हेक्टेयर, खसरा संख्या 499 रकबा 1.05 हेक्टेयर, खसरा संख्या 500 रकबा 3.29 हेक्टेयर, खसरा संख्या 501 रकबा 3.17 हेक्टेयर, कुल 22.26 हेक्टेयर में दर्ज है । वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही खानदान के सदस्य है जो मांगीलाल जी के वंशज व वारिसान है। गत खसरा संख्या 63 की 138–04 बीघा भूमि में से 1/3 हिस्से की भूमि मांगीलाल जी की बताई, 1/3 हिस्से की भूमि रामकुंवार पुत्र चन्द्रा की बताई व 1/3 हिस्से की भूमि जगदीश पुत्र नाथा की बताई, वक्त जागीरकाल ही मांगीलाल जी का देहान्त होना बताया। खसरा संख्या 63 की 138–04 बीघा भूमि में से मांगीलाल जी के 1/3 हिस्से की भूमि मांगीलाल के देहान्त पर उनके दोनों पुत्रो रामनिवास व महादेव को प्राप्त होकर उनके अधिकारों की बताई, वक्त भू–प्रबन्ध यह सम्पूर्ण 1/3 हिस्से की भूमि मांगीलाल जी के बड़े पुत्र रामनिवास के नाम गलत दर्ज करना बताया, रामनिवास जी ने अपने हिस्से की भूमि में से 8–14 बीघा भूमि अरजन पुत्र भूराराम जाट को व 20 बीघा भूमि श्रवण पुत्र नारायण, अरजन पुत्र बालू, मोहन पुत्र सांवता रेबारी को बेचान करना बताया, रामनिवास जी के स्वर्गवास के बाद वादी के पिता घीसालाल जी को गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी होना बताई एवं मोहनलाल व रामसहाय जी को भूमि नाम कराने के लिए कहना बताया, मोहनलाल जी द्वारा 17.07.1975 को स्टाम्प पर पारिवारिक सेटलमेन्ट की लिखत लिखना बताया, आदि। वादी मोतीलाल ने अपने वाद में इन खसरों की कुल 22.26 हेक्टेयर भूमि में से खातेदार मोहनलाल पुत्र रामनिवास, रामसहाय पुत्र रामनिवास का नाम खातेदारी भूमि से हटाकर इस 22.26 हेक्टेयर भूमि का 1/6 हिस्सा वादी के नाम, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 09 के नाम, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 के नाम, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 के नाम, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12 के नाम, 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 13 के नाम, 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14 के नाम, 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 15 के नाम व 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 16 व 17 के नाम के नाम घोषित करने की प्रार्थना की एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की। स्पष्ट है कि यह वाद केवल प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 के विरूद्ध ही था। वादी स्वंय ने अपने लिए केवल 1/6 हिस्से की घोषणा चाही. शेष 5/6 हिस्से की घोषणा प्रतिवादी संख्या 09 से 17 के पक्ष में चाही एवं इन प्रतिवादी संख्या 09 से 17 किसी की भी और से न तो कोई वाद था, न ही कोई प्रतिदावा था, न ही इनमें से कोई अदालत में उपस्थित हुआ एवं न ही किसी ने अपना शपथ पत्र तक दिया इसके बावजूद वादी मोतीलाल के कहने मात्र पर प्रतिवादी संख्या 09 ता 17 के पक्ष में भी घोषणात्मक डिक्री विरूद्ध प्रार्थीगण एक पक्षीय जारी करवाली। वाद ने वाद पत्र में स्वंय के लिए तो 1/6 हिस्से की घोषणा चाही साथ ही प्रतिवादी संख्या 9 से 17 के लिए 5/6 हिस्से की घोषणा चाही एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 9 ता 17 के पक्ष में प्रतिवादी सख्या 01 ता 08 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा भी चाही इस वाद में केवल प्रतिवादी संख्या 10 व 11 ने केवल इकबाली जवाब दिया उन्होनें अपना कोई काउन्टर क्लेम ही नहीं दिया तथा अन्य प्रतिवादी संख्या 09 व 12 से 17 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हुई प्रतिवादी संख्या 09 व 12 से 17 तो इस वाद में न्यायालय के नजदीक ही नहीं आये फिर भी योग्य अधीनस्थ अदालत से वादी ने इन प्रतिवादीगण के पक्ष में भी प्रार्थीगण (प्रतिवादी संख्या 01 ता 08) के विरूद्ध एक पक्षीय डिक्री जारी करवा ली एवं एक पक्षीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

डिक्री जारी करते ही प्रार्थीगण की जमीनो की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 01 ता 10 के नाम करवाकर इसके दो रजिस्टर्ड बेचाननामें भी कर दिये। वादी मोतीलाल ने अपने वाद को मुख्यतः वाद पत्र में उल्लेखित तथाकथित लिखावट दिनांक 17.07.1975 पर आधारित किया है उक्त लिखावट मोहनलाल व रामसहाय की और से अकेले मोहनलाल द्वारा लिखनी बताई है मोहनलाल के जीवनकाल में ही वादी मोतीलाल के पिता धीसालाल द्वारा मोहनलाल को बार–बार रजिस्ट्री कराने हेतु कहना व मोहनलाल द्वारा रजिस्ट्री नहीं करवाना एवं दिनांक 12.10.1986 को वादी के पिता के घीसालाल की मृत्यु हो जाने के कथन भी वाद पत्र में किये है, वाद पत्र के कथनानुसार वादी का वाद संविदा की पालना का हो सकता था लेकिन उसकी मियाद जा चुकी थी हालांकि उक्त तथाकथित लिखत दिनांक 17.07.1975 फर्जी है, कूटरचित है, इस पर मोहनलाल के हस्ताक्षर फर्जी है एवं उक्त तथाकथित लिखत से किसी भी विधि के तहत वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त/हस्तान्तरित नहीं होते है एवं न ही प्रार्थीगण/प्रार्थीगण के पूर्वजों के खातेदारी अधिकार समाप्त/हस्तान्तरित होते है। स्वंय वाद पत्र के अनुसार वादी मोतीलाल का वाद दीवानी प्रकृति का था एवं उक्त तथाकथित लिखत के आधार पर इस वाद की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को था ही नहीं। वादी का वाद मैरिट पर डिक्री योग्य था ही नहीं, वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में ही खारिज योग्य था। प्रतिवादी संख्या 10 शिवकुमार व प्रतिवादी संख्या 11 मुरलीधर ने वादी के साथ दुरभिसंधि कर इकबाली जवाब पेश किया लेकिन इनके इकबाली जवाब से प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं हो सकते, ये दोनों प्रतिवादी संख्या 10 व 11 तो स्वंय वादी के ही परिवार के है, इन दोनों प्रतिवादी के विरूद्ध वादी का कोई वाद था ही नहीं बल्कि वादी स्वंय इन प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के नाम घोषणा कराने का अनुतोष मांग रहा था। वाद पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था व है. वाद पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने तक वाद पत्र ही अधूरा है, वाद पत्र प्रस्तुत किया हुआ ही नहीं माना जा सकता, इस वाद में वाद पत्र के साथ वादी मोतीलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत ही नहीं हुआ, केवल साक्ष्य का शपथ पत्र दिनांक 03.03.2022 को प्रस्तुत हुआ लेकिन साक्ष्य के समय स्वंय मोतीलाल न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 05/2022 में दिनांक 10.03.2022 को प्रार्थीगण के विरूद्ध पारित एक पक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त कराने हेतु यह आवेदन प्रार्थीगण की और से प्रस्तुत है जिसके मुख्य आधार निम्नलिखित है :– व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 5 नियम–9 (5) में यह स्पष्ट प्रावधान अंकित है कि "जहां न्यायालय प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होने के तत्पर्य रखने वाली अभिस्वीकृति न्यायालय में प्राप्त होती है या डाक वस्तु को जिसमें समन है डाक कर्मचारी द्वारा ऐसे पृष्ठांकन के साथ वापिस प्राप्त करता है या ऐसे व्यक्ति जो कूरियर सेवा द्वारा अभिकृत है, ऐसे व्यक्ति द्वारा इस आशय से किया गया तात्पर्यित है कि प्रतिवादी उसके अभिकर्ता ने उस डाक वस्तु को जिसमें समन है, निविदत्त किया जाने का ग्रहण करने से इन्कार कर दिया है या उप–नियम (3) में वर्णित साधनों के समन लेने से इन्कार जब उसे निर्विदिष्ट किया गया या उसे पारेषित करने पर इंकार, तब समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषणा करेगा कि प्रतिवादी पर समन की सम्यक रूप से तामिल कर दिया गया है।" उपरोक्त उनवानी प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन प्रार्थीगण के अपूर्ण पता होने के काण ना तो प्रार्थीगण को प्राप्त हुए और ना ही किसी भी अन्य प्रकार से अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रार्थीगण को वादग्रस्त प्रकरण संबंधी कोई जानकारी प्रेषित की गई, अप्रार्थी/वादी मातीलाल के वाद संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

05/2022 की जानकारी प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 को नहीं होने के कारण, उक्त वाद के समन प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 को प्राप्त नहीं होने के कारण वाद की सुनवाई हेतु नियत तारीख पेशी दिनांक 21.02.2022 एवं 26.02.2022 को प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 श्रीमान् न्यायालय में उपस्थित नहीं आ सके, उक्त वाद के समनो की तामील सम्यक रूप से नहीं होने के कारण वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर प्रार्थीगण न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं आ सके, प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 को वाद की सुनवाई की तारीख की सूचना नहीं होने के कारण प्रार्थीगण न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हो सके, प्रार्थीगण (प्रतिवादी संख्या 01 ता 08) के विरूद्ध दिनांक 28.02.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश गलत दिये गये है एवं दिनांक 10.03.2022 को एक पक्षीय निर्णय व डिक्री गलत है काबिल अपास्ति के है। प्रार्थीगण एवं अन्य प्रतिवादी संख्या 09 ता 17 को वाद संख्या 05/2022 के तारीख पेशी दिनांक 21.02.2022 के समन जारी करने के आदेश दिनांक 17. 01.2022 को पारित किये गये थे पत्रावली पर उपलब्ध समनो के अनुसार ये समन दिनांक 20.01.2022 को रीडर द्वारा जारी किये गये है न तो इन समनो पर रजिस्टर्ड डाक से भेजने के आदेश है. न ही आदेशिका में रजिस्टर्ड डाक से भेजने के आदेश है अतः रजिस्टर्ड डाक से समन किसने व क्यो भेज एवं किसके आदेशों से भेज पत्रावली पर कुछ भी अंकित नहीं है एवं जहां रजिस्टर्ड डाक से समन भेजे जाते है वहां समनों की एक–एक प्रतियों सामान्य प्रक्रिया से भी भेजी जानी चाहिए लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया है। वाद शीर्षक में प्रतिवादी संख्या 01 से 09, 12 से 17 को मीण्डा निवासी बताकर हाल निवासी जयपुर लिखा गया है तथा प्रतिवादी संख्या 10 को हाल निवासी अजमेर एवं प्रतिवादी संख्या 11 को हाल निवासी फुलेरा अंकित किया गया है लेकिन इनके जयपुर, अजमेर, फुलेरा के पते अंकित नहीं किये है। वादी को सभी प्रतिवादीगण के सही पतो की जानकारी होते हुए भी न तो वाद पत्र में सही पते अंकित किये न ही रजिस्टर्ड लिफाफो पर सही पते अंकित कर सही पतो पर लिफाफे पोस्ट करवाये, प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण कौटुम्बिक रिश्तेदारी में होने के कारण एक–दूसरे से पूर्णतया परिचित है तथा अप्रार्थी संख्या–1/वादी प्रार्थीगण के वास्तविक वर्तमान पते की पूर्ण जानकारी रखता है, इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या–1/वादी ने दुभावनावश प्रार्थीगण का वास्तविक पूर्णपता वाद पत्र के उनवान में अंकित नहीं किया, अप्रार्थी संख्या–1/वादी द्वारा न्यायालय को गुमराह करने व अंधेरे में रखकर उपरोक्त उनवानी वाद पत्र के उनवान में वर्णित प्रतिवादीगण के पते की जानकारी अपूर्ण रूप से अंकित की गई है, जबकि आदेश–7 नियम–1 (ग) व्यवहार प्रकिया संहिता में स्पष्ट प्रावधान है कि " जहां तक अभिनिशचित किया जा सके, प्रतिवादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान'यदि इन प्रतिवादीगण के समनो पर चस्पा पोस्टल रसीदो को देखा जावे। प्रतिवादी 01 सुबोध का समन बनीपार्क जयपुर भेजा गया है प्रथम तो न्यायालय में वाद पत्र में संशोधन कराये बिना एवं न्यायालय में पता दिये बिना बनीपार्क जयपुर समन किस आधार पर भेजा गया है, स्पष्ट नहीं है, बनीपार्क स्वय बहुत बड़ा इलाका है बनीपार्क में समन कहां भेजा गया है पता अंकित ही नहीं है एवं प्रतिवादी सुबोध तो फरीदाबाद हरयाणा रहता है बनीपार्क या जयपुर में रहता ही नहीं है, स्पष्ट है कि समन जानबूझकर सही पते पर नहीं भेजे गये। प्रतिवादी सख्या 02 अरूणा का समन भी बनीपार्क जयपुर भेजा गया है प्रथम तो न्यायालय में वाद पत्र में संशोधन कराये बिना एवं न्यायालय में पता दिये बिना बनीपार्क जयपुर समन किस आधार पर भेजा गया है, स्पष्ट नहीं है, बनीपार्क स्वय बहुत बड़ा इलाका है बनीपार्क में समन कहां भेजा गया है पता अंकित ही नहीं है एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रतिवादी अरूणा जोबनेर बाग कॉलोनी स्टेशन रोड़ जयपुर में रहती है स्पष्ट है कि समन जानबूझकर सही पते पर नहीं भेजा गया। प्रतिवादी सख्या 03 अमित का समन भी बनीपार्क जयपुर भेजा गया है प्रथम तो न्यायालय में वाद पत्र में संशोधन कराये बिना एवं न्यायालय में पता दिये बिना बनीपार्क जयपुर समन किस आधार पर भेजा गया है, स्पष्ट नहीं है, बनीपार्क स्वय बहुत बड़ा इलाका है बनीपार्क में समन कहां भेजा गया है पता अंकित ही नहीं है एवं प्रतिवादी अमित गुड़गांव हरियाणा में रहता है स्पष्ट है कि समन जानबूझकर सही पते पर नहीं भेजा गया। प्रतिवादी सख्या 04 नेहा का समन भी बनीपार्क जयपुर भेजा गया है प्रथम तो न्यायालय में वाद पत्र में संशोधन कराये बिना एवं न्यायालय में पता दिये बिना बनीपार्क जयपुर समन किस आधार पर भेजा गया है, स्पष्ट नहीं है, बनीपार्क स्वय बहुत बड़ा इलाका है बनीपार्क में समन कहां भेजा गया है पता अंकित ही नहीं है एवं प्रतिवादी नेहा अपने ससुराल राजहंस कॉलोनी ब्रहम्पुरी त्रिपोलिया बाजार जयपुर में रहती है स्पष्ट है कि समन जानबूझकर सही पते पर नहीं भेजा गया। प्रतिवादी सख्या 05 हीना का समन भी बनीपार्क जयपुर भेजा गया है प्रथम तो न्यायालय में वाद पत्र में संशोधन कराये बिना एवं न्यायालय में पता दिये बिना बनीपार्क जयपुर समन किस आधार पर भेजा गया है, स्पष्ट नहीं है, बनीपार्क स्वय बहुत बड़ा इलाका है बनीपार्क में समन कहां भेजा गया है पता अंकित ही नहीं है एवं प्रतिवादी हीना अपने ससुराल खजाने वालों का रास्ता त्रिपोलिया बाजार, जयपुर में रहती है स्पष्ट है कि समन जानबूझकर सही पते पर नहीं भेजा गया। प्रतिवादी सख्या 06 मोहनी का समन जयपुर भेजा गया है प्रथम तो न्यायालय में वाद पन्त्र में संशोधन कराये बिना एवं न्यायालय में पता दिये बिना जयपुर समन किस आधार पर भेजा गया है. स्पष्ट नहीं है, जयपुर स्वय बहुत बड़ा शहर है जयपुर में समन कहां भेजा गया है पता अंकित ही नहीं है इसका नाम भी गलत लिखा गया है सही नाम सरोजदेवी है एवं उक्त सरोजदेवी जोबनेर बाग कॉलोनी स्टेशन रोड़ जयपुर में रहती है जहां समन प्राप्त नहीं हुआ है, स्पष्ट है कि समन जानबूझकर सही पते पर नहीं भेजा गया। प्रतिवादी सख्या 07 धर्मेन्द्र का समन भी बनीपार्क जयपुर भेजा गया है प्रथम तो न्यायालय में वाद पत्र में संशोधन कराये बिना एवं न्यायालय में पता दिये बिना बनीपार्क जयपुर समन किस आधार पर भेजा गया है, स्पष्ट नहीं है, बनीपार्क स्वय बहुत बड़ा इलाका है बनीपार्क में समन कहां भेजा गया है पता अंकित ही नहीं है एवं प्रतिवादी धर्मेन्द्र भी जोबनेर बाग कॉलोनी स्टेशन रोड़ जयपुर में रहता है स्पष्ट है कि समन जानबूझकर सही पते पर नहीं भेजा गया। प्रतिवादी संख्या 08 अभिषेक का भी समन बनीपार्क जयपुर भेजा गया है प्रथम तो न्यायालय में वाद पत्र में संशोधन कराये बिना एवं न्यायालय में पता दिये बिना बनीपार्क जयपुर समन किस आधार पर भेजा गया है, स्पष्ट नहीं है, बनीपार्क स्वय बहुत बड़ा इलाका है बनीपार्क में समन कहां भेजा गया है पता अंकित ही नहीं है एवं प्रतिवादी अभिषेक तो जोबनेर बाग कॉलोनी स्टेशन रोड़ जयपुर में रहता है स्पष्ट है कि समन जानबूझकर सही पते पर नहीं भेजा गया। किसी भी वाद में एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश देने के पूर्व न्यायालय का यह दायित्व है कि वह भली भांति देख ले कि जिस प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये जा रहे है, उस प्रतिवादी को वाद के सम्मन की तामील विधिवत् रूप में हुई है या नहीं हुई, सम्मन की विधिवत तामील के लिए आदेश 05 सी.पी.सी. व साधारण नियमो (दीवानी एवं दाण्डिक) की पालना आज्ञापक है लेकिन इस मामले में प्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश करते समय नियमों की पालना करने में चूक हुई है। जो सम्मन रजिस्टर्ड डाक से भेजे गये है उनकी सभी पोस्टल रसीदों में वजन 10 ग्राम (जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

लिफाफा सहित होता है) बताकर AMT:20.00 (Cash) PS:500 लिखे गये है, से स्पष्ट है कि लिफाफो में केवल सम्मन ही थे, वाद पत्र की नकले नहीं डाली गई थी, यदि वाद पत्र की नकले डाली जाती तो प्रत्येक लिफाफे का वजन निश्चित रूप से 10 ग्राम से ज्यादा होता क्योंकि केवल 6 पेज का तो बाद पत्र ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन तथाकथित रजिस्टर्ड लिफाफो में समन के साथ वाद पत्र की प्रतियों नहीं भेजी गई है एवं जब सम्मन के साथ वाद पत्र की नकल भेजी गई है तो वह समन ही अधूरा है. ऐसे समन की तामील मानी ही नहीं जा सकती। इस मामले में स्वंय न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के समनो की तामीलो का ठीक से अवलोकन ही नहीं किया है। मामला अत्यन्त ही जल्दबाजी में बिना देखे जांचे एकपक्षीय कर दिया गया है। दिनांक 20.05.2022 को प्रार्थी धर्मेन्द्र को नकल जमाबन्दी देखने पर राजस्व रिकार्ड के गलत इन्द्राजो की जानकारी हुई तब प्रार्थी ने अन्य प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण से इस सम्बन्ध में चर्चा की तो अप्रार्थी मोतीलाल ने अपनी गलती मानी व एक सप्ताह में अपने खर्चे पर जमीनों की रजिस्ट्री वापस प्रार्थीगण के नाम कराने का आश्वासन दिया लेकिन दिनांक 31.05.2022 को मोतीलाल ने स्पष्ट मना कर दिया तब प्रार्थीगण ने राजस्व वाद संख्या 05/2022 की पत्रावली की नकलों का आवेदन दिनांक 03.06.2022 को प्रस्तुत किया, दिनांक 08.06.2022 को प्रार्थीगण को राजस्व वाद पत्रावली की प्रतियों प्राप्त हुई तब प्रथम बार दिनांक 08.06.2022 को प्रार्थीगण को वाद संख्या 05/2022 की समस्त कार्यवाहीयों एवं एक पक्षीय निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण को स्वयं के पक्ष में व प्रत्यर्थी संख्या-1/वादी के विरूद्ध पत्रावली में प्रार्थीगण द्वारा स्वयं के हक में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर न्यायहित में दिया जाना नितांत आवश्यक है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा भी विभिन्न न्यायिक दृष्टांतो में यह प्रतिपादित किया है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की पालना सुनिश्चत करना न्यायालय का परम कर्तव्य है एवं व्यक्ति / संस्था के पक्ष को सुने बिना उसके विरूद्ध आदेश पारित करने से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की पालना नही हो पाती है। प्रस्तुत प्रकरण में भी प्रार्थीगण को स्वयं के पक्ष में जवाब प्रस्तुत करने से पूर्व ही एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई जिसके कारण प्रार्थीगण अपने पक्ष को समुचित रूप से माननीय के समक्ष रख नही पाये। माननीय विभिन्न उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित व्याख्या के आधार पर विधिक रूप से श्रीमान पीठासीन अधिकारी पर भी यह दायित्व आयत किया गया है कि विपक्षीगण को नैसर्गिक न्याय के सिद्धातों के तहत तथा कोई पक्ष न्याय से वंचित नहीं रह सके, कोई पक्ष दूसरे पक्ष के प्रति छलकपट से कोई डिक्री या आदेश पारित नही करवा सके इसके लिए यह आवश्यक है कि पीठासीन अधिकारी स्वयं सुनिश्चित करें। पक्षकारान के तामील विधिवत्त हई, हस्तगत प्रकरण में प्रथमतः अप्रार्थी संख्या-1/वादी ने रिश्तेदार व नातेदार होने के बावजूद तथ्यों को छिपाते हुए तथा न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के आशय से वाद के उनवानी शीर्षक पर प्रार्थीगण का पता जयपुर मात्र अंकित किया। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि वास्तविकता [illegible] पक्षकारान की जानकारी में वादी नही चाहता था कि वाद की सूचना उन्हें मिले जबकि विपक्षी संख्या 10 व 11 जिन्होंने जवाब दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, [illegible] बिना तामील कुलिंदा के रिपोर्ट प्राप्त हुए बिना किस प्रकार न्यायालय में स्वयं उपस्थित हो गए। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या-1/वादी तथा अप्रार्थी संख्या-3, 4/ प्रतिवादी नं- 10 ता 11 ने साजशी रूप से दुरभिसन्धी कर वाद न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायालय के साथ धोखाधड़ी कर यह डिक्री व निर्णय विधि विरुद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 10:12:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्राप्त किया है। जिस कारण न्यायालय द्वारा एक पक्षीय रूप से पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 10.03.2022 अपास्त किये जाने योग्य है। वाद संख्या 5/2022 में दिनांक 10.03.2022 को एक पक्षीय डिक्री प्राप्त कर अप्रार्थी /वादी मोतीलाल व अन्य अप्रार्थी संख्या 2 से 10 (प्रतिवादी संख्या 9 से 17) ने एक पक्षीय डिक्री की पालनार्थ श्रीमान न्यायालय में दिनांक 15.03.2022 को 10,000/– रूपये कोर्ट फीस जमा करवाने का आवेदन प्रस्तुत कर उसी दिन दिनांक 15.03.2022 को तहसीलदार नावां के नाम तहरीरी आदेश क्रमांक 122 जारी करवाकर तहसीलदार नावां से पटवारी हल्का को आदेश करवाये जिनकी पालना में पटवारी हल्का ने दिनांक 07.04.2022 को नामान्तरण संख्या 509 खोला, उसी दिन दिनांक 07.04.2022 को भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट कर दी एवं उसी दिन दिनांक 07.04.2022 को तहसीलदार साहब नावां ने नामान्तरण संख्या 509 स्वीकृत कर दिया। तत्पश्चात अप्रार्थी / प्रतिवादी मोतीलाल ने अन्य अप्रार्थी संख्या 2 (प्रतिवादी संख्या 9) व अप्रार्थी संख्या 5 से 10 (प्रतिवादी संख्या 12 से 17) का मुख्त्यार बनकर इन अप्रार्थी संख्या 2 (प्रतिवादी संख्या 9) व अप्रार्थी संख्या 5 से 10 (प्रतिवादी संख्या 12 से 17) की ओर से वादग्रस्त भूमि का बेचाननामा रामनिवास बिजारनियां पुत्र झुथाराम व श्रवणलाल पुत्र झुथाराम जाट, निवासीगण चारणा वाली ढाणी, देदिया का बास, मीण्डा तहसील नावां के पक्ष में दिनांक 11.05.2022 को लिखवाकर दिनांक 12.05.2022 को उपपंजीयक कार्यालय नावां में पंजीबद्ध करवा दिया तथा स्वंय अप्रार्थी (वादी) मोतीलाल व अन्य अप्रार्थी संख्या 3 व 4 (प्रतिवादी संख्या 10 व 11) की ओर से वादग्रस्त भूमि का बेचाननामा मनोज देवी पत्नी रामनिवास व ममता पत्नी श्रवणलाल जाति जाट, निवासीगण देदिया का बास, मीण्डा तहसील नावां के पक्ष में दिनांक 11.05.2022 को लिखवाकर दिनांक 12.05.2022 को उप पंजीयक कार्यालय नावां में पंजीबद्ध करवा दिया। इन दोनों बेचाननामों के आधार पर तथाकथित क्रेतागण अपने पक्ष में नामान्तरण करवाकर वादग्रस्त भूमि को ओर आगे हस्तान्तरण करने, मौके की स्थिति में परिवर्तन करने, भूमि को रहन करने, भूमि पर भार क्रिएट करने पर आमादा हैं। उपरोक्त पैरा में अंकित दोनों बेचाननामें एक ही परिवार के व्यक्तियों के पक्ष में कराये गये हैं क्रेतागण रामनिवास व श्रवणलाल दोनों सगे भाई हैं तथा क्रेतागण मनोज देवी व ममता इन रामनिवास व श्रवणलाल की पत्नियां हैं। वाद संख्या 5/2022 को एक पक्षीय निर्णित करवाने की कपट पूर्वक कार्यवाहीयों में इन तथाकथित केतागण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्रेता रामनिवास स्वंय ने बतौर पी.डब्ल्यू 3 वादी के पक्ष में झूठी साक्ष्य दी हैं। प्रार्थीगण की भूमि बाबत गलत रूप से एक पक्षीय डिक्री प्राप्त कर दिनांक 12.05.2022 को दो पंजीबद्ध बेचाननामे अप्रार्थी संख्या 13 से 16 के पक्ष में करवाये गये हैं एवं अप्रार्थी संख्या 13 से 16 वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करने, रिकार्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन करने, भूमि को रहन कर उसपर भार क्रिएट करने व आगे हस्तान्तरण एवं खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं, हालांकि एक पक्षीय निर्णित वाद में तृतीय पक्ष को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है लेकिन एक पक्षीय डिक्री के आधार पर नामान्तरण करवाकर अप्रार्थी संख्या 13 ता 16 ने अ[illegible] में दो पंजीबद्ध बेचानानामे दिनांक 12.05.2022 को करवा लिये हैं अतः अप्रार्थी संख्या 13 ता 16 को इस मामले में पक्षकार बनाया जाना उचित हैं अतः इन्हें पक्षकार बनाया गया है। [illegible] प्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित करते हुए प्रकरण डिक्री फरमा दिया गया। यदि प्रार्थी को उक्त प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर सुनवाई का पूर्ण अवसर नही दिया गया तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। जिसकी पूर्ती किया जाना कतई संभव नहीं है। यद्यपि एक पक्षीय निर्णय व डिक्री की जानकारी की तिथि से

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

अन्दर मियाद यह आवेदन प्रस्तुत है फिर भी रफाए उज्जत धारा 05 मियाद अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बहक प्रार्थीगण बरखिलाफ अप्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर वाद संख्या 05/2022 में दिनांक 28.02.2022 को प्रार्थीगण (प्रतिवादी संख्या 01 ता 08) के विरूद्ध पारित एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश अपास्त फरमाते हुए वाद में पारित एक पक्षीय निर्णय व डिकी दिनांक 10.03.2022 को अपास्त फरमाया जाकर प्रार्थीगण को वाद संख्या 05/2022 में जवाब दावा प्रस्तुत करने व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 10 व 13 ता 16 की ओर से अधिवक्ता श्री अमरचंद पंवार ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 11 व 12 के तामील शुदा सम्मन प्राप्त होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1, 3, 13 ता 16 ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने उत्तरदाता के आचरण पर लांछन लगाया है जो गलत है उत्तरदाता का आचरण किसी भी प्रकार से कपटपूर्वक नही रहा है उत्तरदाता ने वाद पत्र में कोई तथ्य नही छिपाये है तथा ना ही कोई फर्जी व कुट रचित लिखित पेश किये है ना ही कोई गलत तथ्य अपने वाद पत्र में अंकित किये है ना ही न्यायालय को मिस गाईड किया है ना ही उत्तरदाता ने अपने वाद पत्र मे गलत तथ्य व प्रार्थीगण का निवास स्थान गलत बताया है प्रार्थीगण ने मनगढत व मिथ्या तथ्यो के आधार पर उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है। उत्तरदाता ने जो वाद पत्र न्यायालय में पेश किया था वह सही तथ्यो के आधार पर पेश किया था न्यायालय ने वादी के वाद को सही मानकर यथोचित डिकी दिनॉक 10.03.2022 को जारी की है यदि प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय की डिक्री दिनांक 10.03.22 के सम्बन्ध में कोई ऐतराज था तो प्रार्थीगण को उक्त डिक्री की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के न्यायालय में पेश करनी चाहिये थी। परन्तु प्रार्थीगण ने ऐसी कोई अपील राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के न्यायालय में पेश नहीं की जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज किये जाने योग्य है। वादी/उत्तरदाता ने अपने वाद पत्र में जो तथ्य अंकित किये थे वह सभी तथ्य सही एवं सत्य थे। तथा दिनॉक 17.07.1975 की जो लिखित मोहनलाल जी द्वारा की गई थी वह फर्जी व कुट रचित नही होकर सही थी जिसमे मोहनलाल जी व जगदीश जी के हस्ताक्षर है जिन्होने उक्त लिखापढी में उत्तरदाता के पिता घीसालाल जी की साढे बाईस बीघा भूमि कब्जे काश्त व हिस्से की बताई है उन्होने धीसालाल जी की भाई राम सहाय के नाम राजस्व रेकार्ड में गलत चली आ रही होना साढे बाईस बीघा भुमि की खातेदारी मोहनलाल जी ने अपने नाम व अपने अंकित किया है। तथा घीसालाल जी की साढे बाईस बीघा भुमि उनके नाम करने की सहमति भी दी है जिसमे मोहनलाल जी स्वय [illegible] को कोई उज ऐतराज नही होना लिखावट में अंकित किया है जिसमे जगदीश जी के हस्ताक्षर है परन्तु प्रार्थीगणके मन में लालच आ जाने के कारण प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र मनगढत व मिथ्या तथ्यो के आधार पर पेश किया है जो काबिल खारिज किये जाने योग्य है। उत्तरदाता व उनके भाईयो व भाई के वारिसान का अपने हक हिस्से अनुसार उक्त भुमि पर भौतिक कब्जा शुरू से ही चला आ रहा है। उक्त खसरान की भुमि में से साढे बाईस बीघा भुमि पर पूर्व मे उत्तरदाता के पिता घीसालाल जी का कब्जा काश्त रहा तथा उनके स्वर्गवासोपरान्त उत्तरदाता व उनके भाईयो का कब्जा काश्त निरन्तर एवं निर्बाध

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

रूप से चला आ रहा है। न्यायालय ने राजस्व वाद सख्या 5/22 बउनवान मोतीलाल बनाम सुबोध वगेरह की डिक्री पारित की है वह नियमानुसार पारित की है। उत्तरदाता ने जैसा उसे ज्ञात था उक्त पते पर प्रतिवादीगण के नोटिस भिजवाये है प्रार्थीगण ने समन ना मिलने का बहाना बनाकर न्यायालय को गुमराह करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेशकियाहै जबकि न्यायालय ने वाद की प्रकिया होने के बाद ही उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है। उत्तरदाता ने प्रार्थीगण के सामने अपनी कोई गलती नही मानी है ना ही उक्त भूमि की रजिस्टरी प्रार्थीगण के नाम करवाने का आश्वासन दिया है प्रार्थीगण ने मनगढत तथ्य अपने प्रार्थनापत्र में अंकित किये है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्च के खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थी संख्या 2, 4 ता 10 की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब को ही अप्रार्थी संख्या 2, 4 ता 10 का जवाब समझा जावें जिसे स्वीकार किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने लिखित बहस पेश की।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। दौराने बहस प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि वाद पत्र संख्या 05/2022 बअनुवान मोतीलाल बनाम सुबोध वगैरह में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण/वादीगण के परिवार के सदस्य होने के बावजूद भी प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के सम्मन पूर्ण पते के साथ जानबूझकर पेश नहीं किये गये तथा अपूर्ण पते पर न्यायालय से सम्मन जारी करवाकर बिना विधिवत तामील ही न्यायालय से उक्त वाद पत्र में निर्णय व डिक्री पारित करवा ली गई जबकि अप्रार्थीगण/वादीगण को प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के पते की पूर्ण जानकारी थी तथा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को उक्त वाद पत्र की जानकारी नहीं हुई तथा उक्त वादपत्र के निर्णय व डिक्री की जानकारी होते ही प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र तथा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे स्वीकार किया जावें एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र संख्या 5/2022 बअनुवान मोतीलाल बनाम सुबोध वगैरह दिनांक 28.02.2022 को प्रार्थीगण के विरूद्ध पारित एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश अपास्त करते हुए वाद में पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.2022 को अपास्त किया जाकर उक्त वाद पत्र में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को जवाब दावा प्रस्तुत करने व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जावें। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि वाद पत्र संख्या 05/2022 बअनुवान मोतीलाल बनाम सुबोध वगैरह में अप्रार्थीगण/वादीगण को प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के सम्मन उनकी जानकारी के अनुसार ही पूर्ण पते पर भिजवाये गये थे तथा प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अंदर मियाद पेश नहीं किया है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:07 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचानुसार वाद पत्र संख्या 5/2022 बअनुवान मोतीलाल बनाम सुबोध वगैरह व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वाद पत्र 5/2022 में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये गये तथा उक्त भिजवाये गये सम्मन तामील हुए या नहीं हुए इसके संबंध में पत्रावली में कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है तथा उक्त भिजवाये गये सम्मन में अंकित प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के पते पूर्ण नहीं है इस प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को उक्त सम्मन की तामील नहीं होने से उक्त वाद संख्या 5/2022 की जानकारी नहीं होना सुस्पष्ट है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वाद पत्र संख्या 05/2022 बअनुवान मोतीलाल बनाम सुबोध वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.2022 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के विरूद्ध दिनांक 28.02.2022 को की गई एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त की जाती है। मूल पत्रावली को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिये जाते हैं।

यह आदेश आज दिनांक 19.02.2024 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:07 IST
Reason: SelfAttested